क्रम-संख्या---175

रजि० नं० एल० डब्लू०/एन० पी० 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल दर

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 मई, 2000

वैशाख 15, 1922 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1244/सत्रह-वि-1—1 (क)-9-2000

लखनऊ, 5 मई, 2000

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 5 मई, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2000)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायगा। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 3 मार्च, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1958 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (ठ) में शब्द "चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय" के स्थान पर शब्द "चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अथवा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय" रख दिये जायंगे।

धारा 2-क का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 2-क में,—

(क) पार्श्व शीर्षक में शब्द "फैजाबाद तथा कानपुर में" निकाल दिये जायंगे;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(1-क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त, ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे मेरठ में एक विश्वविद्यालय की, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कहलायेगा स्थापना की जायगी"।

(ग) उपधारा (2) में शब्द और अंक "उपधारा (1)" के स्थान पर शब्द और अंक "उपधारा (1) या उपधारा (1-क)" रख दिये जायंगे।

अनुसूची का संशोधन

4—मूल अधिनियम में, विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जायगी, अर्थात् :—

"अनुसूची

(धारा 6-क देखिये)

क्रम-सं०	विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्र जिसके भीतर विश्वविद्यालय प्रसार, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-कार्य के प्रयोजनार्थ अधिकारिता का प्रयोग करेगा।
1	गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,	
	(क) सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, की स्थापना होने तक	कुमायूं, गढ़वाल, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर और मेरठ डिवीजन
	(ख) सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, की स्थापना हो जाने पर	कुमायूं, गढ़वाल, मुरादाबाद और बरेली डिवीजन
2	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय	फैजाबाद, गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन, वाराणसी, आजमगढ़ और मिर्जापुर डिवीजन
3	चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,	
	(क) सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, की स्थापना होने तक	कानपुर, लखनऊ, झांसी, आगरा, इलाहाबाद और चित्रकूटधाम डिवीजन
	(ख) सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, की स्थापना हो जाने पर	कानपुर, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद और चित्रकूटधाम डिवीजन
4	सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,	मेरठ, सहारनपुर और आगरा डिवीजन।"

निरसन और अपवाद

उत्तर प्र[...] अध्यादेश संख्या [...] सन् 20[...]

5—(1) उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

(106)

No. 1244 (2)/XVII-V-1—1(KA) 9-2000

Dated Lucknow, May 5, 2000

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 19 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 5, 2000.

THE UTTAR PRADESH KRISHI EVAM PRODYOGIK VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2000

(U. P. ACT No. 19 OF 2000)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-first Year of Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2000.

(2) It shall be deemed to have come into force on March 3, 2000.

Amendment of section 2 of U. P. Act no. 55 of 1958

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958, hereinafter referred to as the principal Act, in clause (1) *for* the words "the Chandrashekhar Azad Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya" the words "the Chandrashekhar Azad Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya or the Sardar Vallabh Bhai Patel Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya" shall be *substituted*.

Amendment of section 2-A

3. In section 2-A of the principal Act,—

(*a*) in the marginal heading, the words "at Faizabad and Kanpur" shall be *omitted*;

(*b*) *after* sub-section (1), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(1-A) Besides the Universities referred to in sub-section (1), there shall be established, with effect from such date as the State Government may by notification in the *Gazette* appoint in that behalf a University at Meerut to be known as the Sardar Vallabh Bhai Patel Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya.

(*c*) in sub-section (2) *for* the words and figure "sub-section (1)" the words and figures "sub-section (1) or sub-section (1-A)" shall be *substituted*.

Amendment of the Schedule

4. In the principal Act, *for* the existing Schedule the following Schedule shall be *substituted*, namely :—

"THE SCHEDULE

(*See* section 6-A)

Serial no.	Name of the University	Area within which the University shall exercise jurisdiction for the purposes of extension, training and research
1	2	3
1	Gobind Ballabh Pant Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya—	
	(*a*) until the establishment of the Sardar Vallabh Bhai Patel Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya	Kumaun, Garhwal, Moradabad, Bareilly, Saharanpur and Meerut Divisions

(107)

1	2	3
	(*b*) upon the establishment of the Sardar Vallabh Bhai Patel Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya	Kumaun, Garhwal, Moradabad and Bareilly Divisions
2	Narendra Deva Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya	Faizabad, Gorakhpur, Basti, Devipatan, Varanasi, Azamgarh and Mirzapur Divisions
3	Chandrashekhar Azad Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya—	
	(*a*) until the establishment of the Sardar Vallabh Bhai Patel Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya,	Kanpur, Lucknow, Jhansi, Agra, Allahabad and Chitrakootdham Divisions
	(*b*) upon the establishment of the Sardar Vallabh Bhai Patel Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya	Kanpur, Lucknow, Jhansi, Allahabad and Chitrakootdham Divisions
4	Sardar Vallabh Bhai Patel Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya.	Meerut, Saharanpur and Agra Divisions."

Repeal and Savings

5. (1) The Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhyadesh, 2000 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by the Act as if this Act were in force at all material times.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए०पी० 44 सा० विधा०—(460)—2000—850 (मेक०)

(108)